<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>09/09/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने 30.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय, कोलकाता के समक्ष जिन्नर अली और 04 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 08.09.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। ईडी ने 27.08.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एसके जिन्नर अली@ जिन्नर अली से जुड़ी 2.2 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में जिन्नर अली के स्वामित्व वाली बर्धमान जिले में स्थित 10 अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस शामिल हैं।

ईडी ने बिधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन, कोलकाता द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अभियुक्तों ने खुद को ईडी के अधिकारी के रूप में दिखाकर एक व्यवसायी से धन उगाही करने की आपराधिक साजिश रची थी। उक्त अभियुक्त विभिन्न व्यापारियों से फोन के माध्यम से संपर्क करते थे और खुद को ईडी के अधिकारी के रूप में पेश करते थे। उन्होंने शिकायतकर्ता को पुलिस आयुक्तालय कार्यालय, बिधाननगर के सामने पेश होने के लिए फर्जी समन भी जारी किए, जिसमें एक आधिकारिक जांच का बहाना था जो वास्तव में मौजूद नहीं थी। मिलने पर, जिनार अली विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में पूछताछ करता और ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ प्राप्त कुछ शिकायतों को इंगित करता हैं। पुलिस आयुक्तालय कार्यालय, बिधाननगर के पास आयोजित बैठक में वित्तीय खातों में विभिन्न विसंगतियों पर भी चर्चा की गई । वैधता का भ्रम पैदा करने के लिए, आरोपी व्यक्ति टोयोटा फॉर्च्यूनर में पहुंचे, जिसमें ईडी का प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित था। उन्होंने दावा किया कि जब तक शिकायतकर्ता उनकी मांगों को मानने के लिए सहमत नहीं होता, तब तक ईडी और सीबीआई दोनों की कार्रवाई आसन्न थी। कार्यालय में छापे, संपत्ति की जब्ती और गिरफ्तारी की लगातार धमकियों के तहत, शिकायतकर्ता को आरोपी व्यक्ति द्वारा दिए गए बैंक खाते में कुल 1.30 करोड़ रुपये नकद और 20 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया।

पीएमएलए जांच के दौरान, यह पता चला है कि एसके जिन्नार अली @ जिन्नार अली धोखाधड़ी, जबरन वसूली और प्रतिरूपण के कई अन्य मामलों में भी शामिल था, जिसमें उसने विभिन्न सरकारी कार्यों जैसे निविदा आवंटन या सरकारी कार्यालयों में लंबित बिल बकाया राशि को निपटाने आदि में मदद करने के बहाने विभिन्न अन्य व्यक्तियों को धोखा दिया। इसके अलावा, कई मामलों में, जब पीड़ितों ने अपने पैसे वापस मांगे, तो एसके जिन्नार अली @ जिन्नार अली ने उन्हें डराने या धमकाने के लिए उच्च पदस्थ केंद्र सरकार के अधिकारी/आईएएस अधिकारी के प्रतिरूपण का इस्तेमाल किया। वह अपनी पत्नी को संयुक्त निदेशक, सीबीआई के रूप में धोखाधड़ी से पेश करता था। आरोपी व्यक्ति ने बैंक लेनदेन के माध्यम से पैसे लिए और कुछ राशि नकद में भी ली। ये अवैध धन व्यक्तिगत खर्चों, संपत्ति और वाहनों की खरीद पर खर्च किया गया।

इस मामले में, पहले 02.07.2025 को एस के जिन्नर अली द्वारा नियंत्रित/इस्तेमाल की गई विभिन्न जगहों पर छापे मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की बरामदगी हुई।छानबीन के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के नाम पर नकली लेटरहेड, नकली समन, मुहर और स्टाम्प से संबंधित सबूत बरामद किए गए। तलाशियों के परिणामस्वरूप होंडा अमेज़ और हुंडई ऑरा नामक दो वाहनों को जब्त किया गया और बैंक खाता शेष को 51.31 लाख रुपये के आसपास जमा कर लिया गया। इसके अलावा, एसके जिन्नर अली @ जिन्नर अली को 02.07.2025 को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।